भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 383] नई दिल्ली, मंगलवार, अगस्त 18, 1981/श्रावण 27, 1903
No. 383] NEW DELHI, TUESDAY, AUGUST 18, 1981/SRAVANA 27, 1903

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

उद्योग मंत्रालय

(औद्योगिक विकास विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 अगस्त, 1981

का. आ. 656(अ).—उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) औद्योगिक उपक्रम रजिस्ट्रीकरण और अनुज्ञापन नियम, 1952 के नियम 10 के उपनियम (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (2), तारीख 4 मार्च, 1976 में प्रकाशित भारत सरकार के उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग)

की अधिसूचना सं. का. आ. 168 (अ.) आर एल आई यू 10(2)/76, तारीख 3 मार्च, 1976 का निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात् :—

1. उक्त अधिसूचना में,—

(1) "परियोजना अनुमोदन बोर्ड" शीर्षक के अधीन, प्रविष्टि 10 के पश्चात् निम्नलिखित प्रविष्टि जोड़ी जाएगी, अर्थात् :—

"11. महानिदेशक, औद्योगिक अनुसंधान और वैज्ञानिक परिषद्, नई दिल्ली या उसका नामनिर्देशिती" ;

(2) "अनुज्ञापन-एवं-एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार समिति" शीर्षक के अधीन, प्रविष्टि 10 के पश्चात् निम्नलिखित प्रविष्टि जोड़ी जाएगी, अर्थात्:—

"11. महानिदेशक, औद्योगिक अनुसंधान और वैज्ञानिक परिषद्, नई दिल्ली या उसका नामनिर्देशिती" ;

(3) "अनुज्ञापन समिति" शीर्षक के अधीन, प्रविष्टि 10 के पश्चात् निम्नलिखित प्रविष्टि जोड़ी जाएगी, अर्थात्:—

"11. महानिदेशक, औद्योगिक अनुसंधान और वैज्ञानिक परिषद्, नई दिल्ली या उसका नामनिर्देशिती" ;

टिप्पण.—मूल अधिसूचना का संशोधन कर दिया गया है । का. आ. सं. 765 (अ) तारीख 29 नवम्बर, 1979 देखिए ।

[फा. सं. 14(4)/79-एल पी.]

एस. एल. कपूर, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF INDUSTRY

(Department of Industrial Development)

NOTIFICATION

New Delhi, the 18th August, 1981

S.O. 656(E).—In exercise of the powers conferred by sub-rule (2) of rule 10 of the Registration and Licensing of Industrial Undertakings Rules, 1952, the Ministry of Industry (Department of Industrial Development) hereby makes the following further amendments to the notification of Government of India in the Ministry of Industry and Civil Supplies (Department of Industrial Development) No. S.O. 163(E)|RLIU|10(2)|76, dated the 3rd March, 1976, published in the

Gazette of India Extraordinary Part II—Section 3—Sub-section (ii) dated the 4th March, 1976, namely :—

1. In the said notification,—

(i) under the heading "Project Approval Board", after entry 10, the following entry shall be added, namely :—

"11. Director General, Council of Scientific and Industrial Resaerch, New Delhi or his nominee";

(ii) under the heading "Licensing-cum-MRTP Committee", after entry 10, the following entry shall be added, namely :—

"11. Director General, Council of Scientific and Industrial Research, New Delhi or his nominee" ;

(iii) under the heading "Licensing Committee", after entry 10, the following entry shall be added, namely :—

"11. Director General, Council of Scientific and Industrial Research, New Delhi or his nominee."

NOTE :—The Principal notification has been amended vide S.O. No. 765(E) dated the 29th November, 1979.

[F. No. 14(4)/79-LP]

S. L. KAPUR, Jt. Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1981